न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00194RAAJodhpur2020-94RTA223 Krishna Kanwar ors Vs Bhawarsingh etc

01. कृष्णा कंवर उर्फ किशनकंवर पुत्री स्व. श्री दुर्गसिंह उर्फ दुर्गासिंह पत्नी श्री करणसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी- बी-16, गोविंदपुरी रामनगर, सोडाला जयपुर, राज- 302019
02. श्रीमती किरण कंवर पुत्री स्व. श्री दुर्गसिंह पत्नी श्री दुलसिंह निवासी- गोलनडी राम-राम भवन आगे जोधपुर।
03. शोभा कंवर पुत्री स्व. श्री दुर्गासिंह पत्नी श्री शंकरसिंह राठौड़, निवासी- जी-38, 39 बालाजी विहार, सोडाला, जयपुर श्यामनगर जयपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. भंवरसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. धनसिंह पुत्र श्री हेमसिंह के कायम मुकामः -
   2.1. मदनकंवर उर्फ विध्याकंवर पत्नी धनसिंह
   2.2. भवानीसिंह पुत्र धनसिंह
   2.3. प्रहलादसिंह पुत्र धनसिंह
   2.4. श्रीमती उमादेवी पुत्री धनसिंह पत्नी रतनसिंह
   2.5. श्रीमती पल्लवी पुत्री धनसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण- जालेची झालरा भाकर के उपर चांदपोल जोधपुर।
3. उम्मेदसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
5. तुलछी पत्नी श्री हेमसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
6. विशनसिंह पुत्र श्री हीरा जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
7. बंशी पुत्र श्री कुम्भा के कायम मुकाम-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7.1. अर्जुनसिंह पुत्र बंशी जाति रावणा राजपूत, निवासी- बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाली गली जगदम्बा कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर।

7.2. मोहनसिंह पुत्र बंशी जाति रावणा राजपूत, निवासी- बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाली गली जगदम्बा कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर।

7.3. शांति पत्नी श्री बंशी जाति रावणा राजपूत, निवासी- बाबा रामदेव मंदिर के सामने वाली गली जगदम्बा कॉलोनी प्रतापनगर जोधपुर।

8. दुर्गा पुत्र श्री सिरदारा फौत के कायम मुकामः -

8.1. नरपतसिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी- किला रोड बता सागर, बागर चौक नागौरी गेट जोधपुर।

8.2. गिरधारीसिंह पुत्र दुर्गासिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी- किला रोड़ बता सागर, बागर चौक, नागौरी गेट जोधपुर।

9. रादुसिंह पुत्र चन्दा जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

10. गुलाबसिंह पुत्र श्री चन्दा जाति रावणा राजपूत, निवासी- भीकमकौर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

11. माडू पत्नी श्री चन्दा जाति रावणा राजपूत, निवासी-भीकमकौर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

12. गीता पुत्री प्रेमा

13. इमरती पुत्री प्रेमा जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण- भीकमकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

14. श्रीमान् तहसीलदार लोहावट जरिये राजस्थान राज्य।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 31/2018 भवरसिंह व अन्य बनाम बंशी के कायम मुकाम इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री एम.एस.राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01, 03 से 06
श्री रामचन्द्र सिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8/1
श्री भानुप्रकाश राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 09 से 13
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2018 अनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बंशी के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 अगस्त 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अपील पेश करने की अनुमति प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया तथा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2384 रकबा 191.19 बीघा ग्राम भीयाडिया तहसील लोहावट के संबंध में रेस्पो. संख्या 7/1 से 13 रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर दिनांक 08 अगस्त 2019 को निर्णय एवं डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलौच्य निर्णय एंव डिक्री विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्त है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट्स के पिता दुर्गा की सहखातेदारी में दर्ज रही है जो मिसल बंदोबस्त संवतः 2011 से 2030 से स्पष्ट है। अपीलांट्स स्व. दुर्गा की विधिक वारिसान् है, जिन्हें विचारण न्यायालय में वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है तथा न ही उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारान् को पक्षकार नहीं बनाकर माननीय विचारण न्यायालय को अंधेर में रखकर उभय पक्ष ने सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेचान की लिखापढी को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि मिसल बंदोबस्त में अभिलिखित खातेदारों की खातेदारी मात्र आधारहीन दस्तावेजात के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती है।

प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स स्व. दुर्गा की विधिक वारिसान् पुत्रिया होने तथा वादग्रस्त आराजीयात उनकी पुश्तैनी भूमि होने से वे मामले में आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने पर भी उन्हें विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इसलिए वे अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी ठहरती है। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने उन्हे समय पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अपीलांट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जयपुर तथा जोधपुर में निवास करने एवं विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के प्रकोप के चलते अपीलांट्स समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाये।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत स्वीकार फरमाया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2019 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय प्रस्तुत बेचाननामे एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उभय पक्ष की सहमति से पारित की है। अपीलांट्स विचारण न्यायालय मे पक्षकारान् नहीं होने से कानूनन उन्हें अपील प्रस्तुति का कोई अधिकार नही है। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के एक साल बाद अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अपीलांट्स द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि उनके पिता का देहांत कब हुआ है तथा उनका फौतेदगी नामांतरकरण क्यों नहीं हुआ। अपीलांट्स को स्व. दुर्गा की अन्य सम्पति में सें हिस्सा दिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से डिक्री एवं निर्णय पारित किया है, जिसके विरुद्ध कानूनन अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संख्या 1678 दिनांक 06.07.2020 ग्राम भीकमकौर तहसील लोहावट के मुताबिक स्व. दुर्गा की फौतेदगी पर खसरा नं. 2399 रकबा 60.02 बीघा के संबंध में भरे गये नामांतकरण में स्व. दुर्गा के विधिक वारिसानो में रेस्पोडेंट संख्या 8/1 नरपतसिंह एवं 8/2 गिरधारीसिंह के साथ अपीलांट्स का भी नाम दर्ज है, जिससे यह साबित होता है कि अपीलांट्स स्व. दुर्गा की प्रथम श्रेणी विधिक वारिसान् है। अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नं. 2384 रकबा 191.19 बीघा के संबंध में प्रस्तुत दावे में अपीलांट स्व. दुर्गा की विधिक वारिसान् होने से दावे में आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार थी, जिन्हे पक्षकार ही नही बनाया जाकर दावे में संयोजित पक्षकारान् की सहमति से दावे का निर्णय कर दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें समय पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना लाजमी है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एवं विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2018 अनवान भंवरसिंह व अन्य बनाम बंशी के कायम मुकाम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अगस्त 2019 को खारिज किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित कर उन्हें जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.7.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर